ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 84

भूमि संसाधन विभाग

क. वसूलियॉ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014		
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		2418.84	6.92	2425.76	3201.00	7.20	3208.20	3000.00	7.20	3007.20	5765.00	7.85	5772.85
पूंजी		**...**	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**2418.84**	**6.92**	**2425.76**	**3201.00**	**7.20**	**3208.20**	**3000.00**	**7.20**	**3007.20**	**5765.00**	**7.85**	**5772.85**
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451	...	6.92	6.92	...	7.20	7.20	...	7.20	7.20	...	7.85	7.85
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम													
बंजर भूमि विकास													
2. राष्ट्रीय पुनर्वास नीति	2501	0.04	...	0.04	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
3. एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम													
3.01 कार्यक्रम घटक	2501	2296.48	...	2296.48	2743.90	...	2743.90	2612.05	...	2612.05	4822.20	...	4822.20
	3601	15.77	...	15.77	1.10	...	1.10	1.10	...	1.10	1.10	...	1.10
	जोड़	*2312.25*	...	*2312.25*	*2745.00*	...	*2745.00*	*2613.15*	...	*2613.15*	*4823.30*	...	*4823.30*
3.02 ईएपी संघटक	2501	...	...	...	...	...	...	...	...	...	25.00	...	25.00
जोड़- एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम		*2312.25*	...	*2312.25*	*2745.00*	...	*2745.00*	*2613.15*	...	*2613.15*	*4848.30*	...	*4848.30*
4. जैव ईंधन	2501	0.24	...	0.24	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-बंजर भूमि विकास		**2312.53**	**...**	**2312.53**	**2745.50**	**...**	**2745.50**	**2613.65**	**...**	**2613.65**	**4848.80**	**...**	**4848.80**
भूमि सुधार													
5. राष्ट्रीय भू- अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	2506	8.16	...	8.16	33.00	...	33.00	22.01	...	22.01	115.00	...	115.00
	3601	96.97	...	96.97	100.45	...	100.45	63.39	...	63.39	213.91	...	213.91
	3602	1.18	...	1.18	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00	10.84	...	10.84
	जोड़	*106.31*	...	*106.31*	*135.45*	...	*135.45*	*86.40*	...	*86.40*	*339.75*	...	*339.75*
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए बनाई जाने वाली परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान													
6.01 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (कार्यक्रम घटक)	2552	...	...	...	305.00	...	305.00	290.35	...	290.35	538.70	...	538.70
6.02 राष्ट्रीय भू- अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	2552	...	...	...	15.05	...	15.05	9.60	...	9.60	37.75	...	37.75
6.03 जैव ईंधन	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए बनाई जाने		...	...	...	*320.05*	...	*320.05*	*299.95*	...	*299.95*	*576.45*	...	*576.45*

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
वाली परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान												
जोड़-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	**2418.84**	**...**	**2418.84**	**3201.00**	**...**	**3201.00**	**3000.00**	**...**	**3000.00**	**5765.00**	**...**	**5765.00**
कुल जोड़	***2418.84***	***6.92***	***2425.76***	***3201.00***	***7.20***	***3208.20***	***3000.00***	***7.20***	***3007.20***	***5765.00***	***7.85***	***5772.85***

विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय												
1. पूर्वोत्तर क्षेत्र 22552	...	...	...	320.05	...	320.05	299.95	...	299.95	576.45	...	576.45
2. ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम 12501	2312.53	...	2312.53	2745.50	...	2745.50	2613.65	...	2613.65	4848.80	...	4848.80
3. भूमि सुधार 12506	106.31	...	106.31	135.45	...	135.45	86.40	...	86.40	339.75	...	339.75
जोड़	**2418.84**	**...**	**2418.84**	**3201.00**	**...**	**3201.00**	**3000.00**	**...**	**3000.00**	**5765.00**	**...**	**5765.00**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान भूमि संसाधन विभाग के सचिवालय के संबंध में व्यय के लिए है।

2. **राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति:** भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विस्थापन को कम से कम करने और जहां तक संभव हो विस्थापन न करने या न्यूनतम विस्थापन के विकल्पों को बढ़ावा देने, पर्याप्त पुनर्वास पैकेज को सुनिश्चित करने तथा विस्थापित व्यक्तियों की भागीदारी से पुनर्वास की प्रक्रिया को तेजी से कार्यान्वित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति (एनआरआरपी), 2007 तैयार की है।

3. **समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम:** समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई0डब्ल्यू0डी0पी0), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी0पी0ए0पी0) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी0डी0पी0) को उपर्युक्तो सभी तीनों क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के स्थान पर एक एकल संशोधित कार्यक्रम नामत: समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्ल्यू0एम0पी0) में एकीकृत किया गया है। आई0डब्ल्यू0एम0पी0 की संशोधित योजना को वर्ष 2009-10 में आरंभ किया गया था। इसे वाटरशेड विकास परियोजना संबंधी समान मार्गदर्शी सिद्धान्त, 2008 के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है। यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना होगी। लागत मानदण्ड मैदानी क्षेत्रों के लिए 12000/- रूपये प्रति हैक्टेयर, पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों के लिए 15000/- रूपये प्रति हैक्टेयर तथा समेकित कार्य योजना (IAP जिलों में आई0डब्ल्यू0एम0पी0 के लिए 15000/- रूपये प्रति हैक्टेयर है। लागत को केन्द्रों तथा राज्यों के बीच 90:10 के अनुपात में वहन किया जाता है। आई0डब्ल्यू0एम0पी0 कार्यक्रम में राज्य, जिला, परियोजना तथा गांव स्तर पर समर्पित संस्थाओं तथा भूमिहीन लोगों के लिए जीविका संबंधी कार्यकलापों के नए संघटकों को शामिल किया गया है। आई0डब्ल्यू0एम0पी0 के तहत 11 वीं योजना हेतु 22.65 मि. हे. क्षेत्र को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके प्रति 27 राज्यों के (एसएलएनए) द्वारा कुल 24.213 मि.हे. क्षेत्रफल (5087 परियोजनाओं) को स्वीकृति प्रदान की गयी है। आईडब्ल्यूएमपी के तहत वर्ष 2012-13 के लिए नयी परियोजनाओं को स्वीकृति देने को लक्ष्य 5.00 मि.हेक्ट. है। एसएलएनए द्वारा कुल 3.60 मि. क्षेत्र को शामिल करते हुए कुल 743 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा 2012-13 (31.01.2013 तक) कुल 2228.04 करोड रू. की राशि जारी की गयी है। आईडब्ल्यूएमपी के तहत स्वीकृत की गयी परियोजनाओं हेतु अब तक 6092.27 करोड़ रूपये की राशि जारी की गयी है।

10वीं योजना तक स्वीकृत की गई वाटरशेड परियोजनाओं को मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कार्यान्वित किया जाना जारी रहेगा। समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई0डब्ल्यू0डी0पी0) के अन्तर्गत परियोजनाएं माइक्रो वाटरशेड आधार पर आरंभ की जाती हैं। यह कार्यक्रम लगभग 5000 है0 के परियोजना आकार के साथ परियोजना पद्धति में कार्यान्वित किया जाता है। परियोजना की लागत 6000/- रूपये प्रति हैक्टेयर है जिसे केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा क्रमश: 5500/- रूपये तथा 500/- रूपये के अनुपात में वहन किया जाता है। आई0डब्ल्यू0डी0पी0 को इस समय देश के 470 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी0पी0ए0पी0) एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जिसे भूमि, जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए दीर्घकालिक कार्यनीति के साथ सूखे की समस्या से निपटने के लिए अभिकल्पित किया गया है। यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना है और इसे केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में वित्तापोषित किया जाता है। यह कार्यक्रम 16 राज्यों के 195 जिलों में 972 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जाता है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी0डी0पी0) का उद्देश्य मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करना तथा दीर्घकाल में पारिस्थितिकीय संतुलन को संरक्षित रखना और इसके अलावा सिंचाई, वनीकरण, शुष्क भूमि कृषि आदि के जरिए उत्पादन, आय तथा रोजगार के स्तर में वृद्धि करना है। आबंटन को केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच 75:25 के आधार पर वहन किया जाता है। यह कार्यक्रम 7 राज्यों के 40 जिलों के 235 ब्लॉकों में चलाया जा रहा है।

एक बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना अर्थात नीरांचल डीएफआईडी से प्राप्त बाहरी सहायता से कार्यान्वित की जा रही है।

5. **राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम:** भूमि सुधारों के भाग के रूप में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) के अन्तर्गत तथा इसके अलावा अधिकारों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण(आरओआर), नक्शों के डिजिटाईजेशन, आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण, पंजीकरण के कम्प्यूटरीकरण, संबंधित कर्मचारियों और कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देने तथा उनका क्षमता निर्माण करने, भूमि अभिलेखों तथा पंजीकरण कार्यालयों के बीच सम्पर्क तथा तहसील/तालुक/सर्किल/ब्लॉक स्तर पर आधुनिक अभिलेख कक्ष/भूमि अभिलेख प्रबंधन केन्द्र के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। कार्यक्रम के अन्तर्गत आरंभ किए जाने वाले कार्यकलापों को जिले में समेकित किया जाना है और कार्यान्वयन की इकाई जिला है। 12वीं योजना के अन्त तक देश में सभी जिलों को कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने की आशा है। एनएलआरएमपी का अंतिम लक्ष्य भू-स्वामित्व का निश्चित रूप से निर्धारण करने की एक प्रणाली विकसित करना तथा देश में अनुमान के आधार पर भू-स्वामित्व का निर्धारण करने की प्रणाली को समाप्त करना है। एनएलआरएमपी के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ परियोजनाओं/प्रस्तावों को स्वीकृत करने के लिए एक राष्ट्र स्तरीय परियोजना/प्रस्ताव स्वीकृति एवं निगरानी समिति का गठन किया गया है। अभी तक कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां उपलब्ध करायी गई हैं और 267 जिलों को कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

6. **सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभार्थ परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए प्रावधान!:** सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभार्थ परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए एक-मुश्त प्रावधान रखा गया है।